राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 जयपुर,दिनांकः 31-12-2022

–:परिपत्र:–

—

विषयः–समस्त राजसेवकों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन भरने के संबंध में।

समस्त राजसेवकों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है। जिसके बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

1. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा 01 जनवरी 2023 की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है एवं 31 जनवरी पश्चात् IPR MODULE को बन्द कर दिया जावेंगा। उसके बाद अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा जा सकता।
2. जो राजसेवक अपने अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑन–लाईन नही भरेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उसको विजीलेंस क्लीयरेंस नही दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर भी विचार नही किया जावेगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्डो, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं व उपक्रमों पर भी लागू है।
3. समस्त राजसेवकों को SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राजसेवकों तथा बोर्डो, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं व उपक्रमों में कार्यरत राजसेवकों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन समय सीमा में पूर्ति कराये जाने हेतु निर्देशित करें।

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2022.12.31 12:39:46 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3.संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव।
4.समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6.समस्त संभागीय आयुक्त ।
7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग—7 कापियों सहित ।
9.एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10.तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :—
1.सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3.पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4.अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6.पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7.निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8.समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान।
9.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2022.12.31 12:39:46 IST
Reason: Approved

2017 (2)

Immovable Property Return Flow

START

SSO Login
sso.rajasthan.gov.in

नही

सफलता पूर्वक Login नही होने की दशा में SSO Helpdesk पर सम्पर्क करे।
SSO Helpdesk No :- 0141-29255545
email:- helpdesk.sso@rajasthan.gov.in

हाँ

G2G में RAJKAJ IPR विकल्प का चयन करें

RAJKAJ IPR

राजकाज का पहली बार उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता user self registration(in IPR-Rajkaj) करें।

प्रदर्शित Form में कार्मिक/अधिकारी IPR भरने के लिए आवश्यक विवरण भरकर स्वयं अपना पंजीकरण करें।

अधिक जानकारी के लिए अपने विभाग में सृजित राजकाज पी.एम.यू. टीम से सम्पर्क करें।

राजकाज पी.एम.यू. टीम की जानकारी राजकाज की वेबसाइट http://www.rajkaj.rajasthan.gov.in के Nodal Officer ऑप्शन में उपलब्ध है।

राज–काज में पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता

अचल संपत्ति विवरण (IPR) प्रक्रिया

Employee Corner >> IPR >> Manage Immovable Property Return विकल्प चुने।

- अपना प्रोफाईल विवरण जाँचे।
- प्रोफाईल विवरण अध्यतन/सही करने के लिए Update Profile पर क्लिक कर अपना विवरण सही करें और IPR प्रस्तुत करें।

संपत्ति नहीं होने के दशा में

कार्मिक स्वयं/परिवारजन (पति/पत्नी/बच्चों/आश्रित) के नाम कोई भी अचल संपत्ति नहीं होने की स्थिति में Please Check to fill IPR with No Property Return ऑप्शन का चयन कर Nil IPR Submit करे।

संपत्ति होने के दशा में

क्या अचल संपत्ति विवरण राज–काज द्वारा पहली बार भरा जा रहा है

नही

गत वर्ष में प्रस्तुत की गई संपत्ति को Select From Previous Property पर क्लिक कर चयन करे।

संपत्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव होने (क्रय/विक्रय, मुल्य अन्य परिवर्तन) की स्थिति में Add/Delete/Update करें।

हाँ

कार्मिक स्वयं/परिवारजन (पति/पत्नी/बच्चों/आश्रित) के नाम की अचल संपत्ति का विवरण भरकर Save करे। (एक से अधिक संपत्ति होने पर Add बटन पर क्लिक करते हुए एक–एक कर सभी संपत्तियों का विवरण भरें।)

संपत्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए Delete/Update करें।

अचल संपत्ति विवरण Submit करने के लिए आधार ओटीपी (SSO में दर्ज आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त OTP) से सत्यापित कर IPR भरने की प्रक्रिया पूर्ण करें। यथासभंव Submitted IPR की Pdf Copy को Save रखें।

END

For technical assistance:
email: support.rajkaj@rajasthan.gov.in
Phone: 0141-29 21149/ 29 21149/ 29 25181